COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
//मंत्रालय //

अ धि सू च ना

भोपाल दिनांक 26.6.98

क्रमांक एफ 4[ई]8/96/16-ए[1]: कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923 [1923 का सं.8] की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्-द्वारा राज्य के समस्त सहायक श्रमायुक्तों को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर के रूप में नियुक्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि वे उक्त अधिनियम के अधीन उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे।

NOTIFICATION

No.F 4(E)8/96/16-A(1): In exercise of the powers conferred by section 20 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (No.8 of 1923) the State Government hereby appoints all the Assistant Labour Commissioners of the State as Commissioner for Workmen"s Compensation, in addition to his own duties and directs that they shall exercise the powers and perform the duties unders the said Act in the area of their respective jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

[एस. एस. बेलवाल]
उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,श्रम विभाग

क्रमांक एफ 4[ई]8/96/16-ए[1] भोपाल दिनांक 26.6.98

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में निश्चित रूप से प्रकाशनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस विभाग को प्रदाय करने का कष्ट करें।

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश,इन्दौर की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

समस्त सहायक श्रमायुक्त[सहायक श्रमायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर (म.प्र.)]

पंजीयक,औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर की ओर अग्रेषित। अधिसूचना की प्रति समस्त श्रम न्यायालयों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

दिनांक 17/03/07

उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग